राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(अनुभाग-3)

क्रमांक-एफ-20(31)ग्रावि/नरेगा/2010 जयपुर, दिनांक :14.11.2011

जिला कलेक्टर एवं जिला कार्यक्रम समन्वयक,
राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना,
समस्त(राजस्थान)।

विषयः- ग्राम पंचायतों को रिवॉल्विंग फण्ड उपलब्ध कराने बाबत।
प्रसंगः- इस कार्यालय का पत्र क्रमांक एफ-2(64)आरडी/नरेगा/2009-10दिनांक 16.11.09 एवं दिनांक 8.2.2010 (नरेगा स्थायी समिति)

महोदय,

उक्त प्रासांगिक विषयान्तर्गत महात्मा गांधी नरेगा योजना के निर्माण कार्यो हेतु 1500 परिवारों तक पंजीकृत वाली ग्राम पंचायत को 4.00 लाख रूपये एवं इससे अधिक पंजीकृत परिवारों वाली ग्राम पंचायत को 5.00 लाख रूपये की राशि रिवॉल्विंग फण्ड के रूप में ग्राम पंचायतों को जारी किये जाने के निर्देश दिये गये थे।

इसी कम में निम्नानुसार संशोधित निर्देश जारी किये जाते हैं:-

1. 1500 तक पंजीकृत परिवारों वाली ग्राम पंचायत को 4.00 लाख रूपये के स्थान पर 8.00 लाख रूपये एवं 1500 से अधिक पंजीकृत परिवारों वाली ग्राम पंचायतों को 5.00 लाख रूपये के स्थान पर 10.00 लाख रूपये की राशि रिवॉल्विंग फण्ड के रूप में जारी की जावे। ग्राम पंचायत के पास वित्तीय वर्ष में उपलबध समस्त राशि की 60 प्रतिशत राशि **एम.आई.एस आधारित व्यय** हो जाने के पश्चात् रिवॉल्विंग फण्ड के पुनर्भरण की प्रकिया, नरेगा स्थायी समिति से अनुमोदन एवं सामग्री बिलों का पंचायत समिति को विवरण उपलब्ध कराने की व्यवस्था प्रासांगिक निर्देशों के अनुसार ही रहेगी।
2. यह भी स्पष्ट किया जाता है कि उक्त राशि ग्राम पंचायत में प्रगतिरत कार्यो पर अनुमत सामग्री मद की 50 प्रतिशत सीमा से अधिक नहीं हो अर्थात् वास्तविक रूप से प्रगतिरत कार्यो की स्वीकृत सामग्री मद की 50 प्रतिशत राशि यदि उक्त संशोधित रिवॉल्विंग फण्ड (8.00 लाख अथवा 10.00 लाख) से कम है तो कम राशि ही रिवॉल्विंग फण्ड के रूप में देय होगी।
3. रिवॉल्विंग फण्ड पुनर्भरण आदेश जारी करने से पूर्व के समस्त सामग्री बिलों की **एम.आई.एस फीडिंग स्थिति** के संबंध में पंचायत समिति के लेखाकार को नरेगा सॉफ्ट से एमआईएस की जांच कर संबंधित पत्रावली पर टिप्पणी अंकित करनी होगी। पुनर्भरण आदेश में उन प्रगतिरत कार्यो के नाम तथा कार्यवार श्रम सामग्री मद में व्यय हो चुकी राशि का विवरण भी अंकित करना होगा, जिनके लिए राशि आवंटित की जा रही है। साथ ही भारत सरकार द्वारा जारी नरेगा आपरेशनल गाईडलाईन्स 2008 के पैरा-8.6 अनुसार प्रत्येक ग्राम पंचायत को जारी राशि का मासिक मिलान (Monthly Squaring) भी कार्यक्रम अधिकारी द्वारा करना होगा।

भवदीय,
14/11/11
(तन्मय कुमार)
आयुक्त एवं शासन सचिव, ईजीएस

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतुः-

1. निजी सचिव, माननीय मंत्री, ग्रामीण विकास एवं पंचा. राज विभाग।
2. निजी सचिव, आयुक्त एवं शासन सचिव, पंचायती राज विभाग।
3. मुख्य/अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, समस्त राजस्थान को इन निर्देशों की प्रति पंचायत समिति में कार्यरत समस्त **लेखाकारों को तामील करवाकर दिनांक 30.11.2011 तक तामील रिपोर्ट प्रेषित करने हेतु।** निर्देशों की एक प्रति समस्त ग्राम पंचायतों को भी उपलब्ध कराई जावे।
4. समस्त परियोजना अधिकारी (लेखा), जिला परिषद को उक्त निर्देशों की पालना वित्त एवं लेखा मार्गदर्शिका, 2011 के पैरा 3.8, 3.9 एवं 5.9 अनुसार करवाने हेतु।

14/11/2011
परि. निदे. एवं पदेन उप सचिव, ईजीएस

D:\RN Mehta\REVALNG FUND.doc4 36:39 AM11/27/2008